

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
EXECUTION APPLICATION 23/2023
IN
ORIGINAL APPLICATION 75/2023

IN THE MATTER OF

JAISHREE BANSAL

...APPLICANT

VERSUS

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 26.09.2024	1-9
2.	ANNEXURE R1. True copy of the letter dated 22.10.2021 and 17.12.2021.	10-11
3.	ANNEXURE R2 True copy of the FIR No. 0641 of 2021 registered at police station Pilkhua, District- Hapur is	12-36
4.	ANNEXURE R3 True copy of the letter dated 08.11.2022	37
5.	ANNEXURE R4 True copy of the letter dated 23.01.2023.	38
6.	ANNEXURE R5	39

	True copy of the photographs of commissioner, Meerut division, Meerut and other officials meeting.	
7.	ANNEXURE R6 True copy of the photographs of DM Hapur and other officials field inspection.	40
8.	ANNEXURE R7 True copy of the letter dated 05.06.2023.	41-46
9.	ANNEXURE R8 True copy of the Letter dated 16.05.2023.	47
10.	ANNEXURE R9 True Copy of Photographs of commissioner Nagar Nigam, Ghaziabad and other officials field inspection	48
11.	ANNEXURE R10 True copies of Spot memo of open meeting with villagers.	49-51
12.	ANNEXURE R11 True copies of the correspondence's letters vide letter no. 1204(1) ST-SDM/Dhaulana (2024) and letter No. 1726(1)/S.T./DM/2024 dated 27.09.2024.	52-54
13.	ANNEXURE 12 True copies of the correspondence's letters vide letter no. 13577/ST-ADM/2024 and vide letter no. 1851/ST-DM/2024 dated 01.10.2024.	55-64

FILED BY: -

DATE: 01.10.2024

PLACE: NOIDA



BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL, STATE OF U.P.
NATIONAL GREEN TRIBUNAL
BHANWAR09JADON@GMAIL.COM



**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
EXECUTION APPLICATION 23/2023
IN
ORIGINAL APPLICATION 75/2023**

IN THE MATTER OF: -

JAISHREE BANSAL

...APPLICANT

VERSUS

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

...RESPONDENT(s)



AFFIDAVIT IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 26.09.2024

I, PRERNA SHARMA aged about 34 years, D/o Shri Dushyant Kumar Sharma District Magistrate, Hapur, State of Uttar Pradesh, do hereby most solemnly state and affirm as under;

In the Action Taken Report attached below for Execution Application No. 23/2023, Original Application No. 75/2023, IA No. 645/2023, filed by Mr. Jaishree Bansal vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board. The following application has been filed before this Hon'ble Tribunal for the issues being faced by the people of village Galand and village Pipalhaida. The report is as follows:

1. That according to annexed Khatauni, the concerned/ disputed land in the village Galand, Tehsil Dhaulana, District Hapur, and in the village Pipalhaida, Tehsil Dhaulana, District Hapur, were sold to M/s Agrawal

Perna

Infra Promoters. Subsequently, in the year 2019 M/s Agrawal Infra Promoters, etc. sold the concerned/ disputed land to Nagar Nigam Ghaziabad, Navyug Market Ghaziabad authorised representative tax superintendent/ property superintendent Mr. Bholanath Gautam, S/o Mr. Munshi Lal, R/o C- 214, Shastri Nagar, Ghaziabad and the same name is entered in revenue records (Khatauni).

Brief details of all the concerned property (according to revenue records) is mentioned below:

S.NO.	VILLAGE NAME	KHATA NO. (ACCORDING TO CH 41, 45)	KHASRA NO.	AREA (HECTARE)	LAND TYPE
1	2	3	4	5	6
01	Galland	620	1663	0.6180	श्रेणी -1 क
02	Galland	253 939	1664	0.8450	श्रेणी -1 क
03*	Galland	670 1342	1658	0.1275	श्रेणी -1 क
04	Galland	314 996	1659	0.2500	श्रेणी -1 क
05	Galland	19	1660	0.3310	श्रेणी -1 क
06	Galland	170	1680	0.2700	श्रेणी -1 क
07	Galland	169	1676	0.2700	श्रेणी -1 क
08	Galland	1092	1678	0.4309	श्रेणी -1 क
09	Galland	81	1674	0.1260	श्रेणी -1 क
10	Galland	309 992	1673	0.4100	श्रेणी -1 क
11	Galland	1380	1675	0.3790	श्रेणी -1 क
12	Galland	1104	1685	0.1770	श्रेणी -1 क
13	Galland	1181	1669	0.1900	श्रेणी -1 क



Pr

14	Galland	336 1071	1671	0.5520	श्रेणी -1 क
15	Galland	666 1352	1670	1.6190	श्रेणी -1 क
16	Galland	169	1667	0.1990	श्रेणी -1 क
17	Galland	1380	1668	0.1900	श्रेणी -1 क
18	Galland	324	1672	0.3730	श्रेणी -1 क
19	Piplahaida	464	765	0.6160	श्रेणी -1 क
20	Piplahaida	465	767	0.3850	श्रेणी -1 क
21	Piplahaida	185 446	768	0.7130	श्रेणी -1 क
22	Piplahaida	200 465	774	0.2810	श्रेणी -1 क
23	Piplahaida	199	775	0.1880	श्रेणी -1 क
24	Piplahaida	500	776	0.4840	श्रेणी -1 क
25	Piplahaida	517	760	0.5300	श्रेणी -1 क
26	Piplahaida	01	761	0.6180	श्रेणी -1 क
27	Piplahaida	231	762	1.0640	श्रेणी -1 क
28	Piplahaida	151	763	1.5420	श्रेणी -1 क
29	Piplahaida	539	769	1.0230	6(4)- usar
30	Piplahaida	539	755	0.0630	6(4)- usar
31	Piplahaida	539	764	0.5440	6(4)- usar
32	Piplahaida	539	771	0.1640	6(4)- usar
33	Piplahaida	539	772	0.1640	6(4)- usar
34	Piplahaida	525	773	0.3540	5(1)- Navin parti
35	Piplahaida	112	754	1.7590	श्रेणी -1 क



Pr

2. On dated 22.10.2021, the then SDM, Dhaulana made correspondence to C.O. (Police), Pilkhua where the hindrance in the work of Waste to energy plant being made in Galland was requested to be investigated. On 17.12.2021, SDM, Dhaulana wrote a letter to DM, Hapur regarding the adjournment of protest by Jan Kalyan Kisan Welfare Samiti, Galland on 06.12.2021. It was also mentioned that extensive discussion was held with the villagers regarding construction of Waste to energy plant in Village Galland and Village Pipalhaida.

True copy of the letter dated 22.10.2021 and 17.12.2021 are annexed herewith and marked as **ANNEXURE R1**.

3. That on dated 06.10.2022 another meeting was held among Jan Kalyan Kisan Welfare Samiti- Galland, farmers, villagers and political parties regarding the selling of the above-mentioned Plot nos. to the purchaser Nagar Nigam, Ghaziabad and restricting the construction of Waste to energy plant. However, during the same time by Nagar Nigam Ghaziabad approx. 100 to 125 trucks with loaded garbage arrived at Waste to energy plant and dumping of the garbage in the concerned plots was attempted, which was heavily opposed by the villagers, political parties and kisan samiti. During the same time police force was called. On the disputed/concerned land, Nagar Nigam, Ghaziabad tried to make boundary around the said property. The abovementioned boundary was destroyed immediately by the farmers, political parties and Jan Kalyan Samiti. After which, on 12.10.2022 FIR was lodged against the concerned persons in Thana Pilkhua, Tehsil Dhaulana, District Hapur.

True copy of the FIR No. 0641 of 2021 registered at police station Pilkhua, district- Hapur is annexed herewith as **ANNEXURE R2**

4. On dated 08.11.2022 a correspondence was made by DM, Hapur to S.P. Hapur with respect to providing sufficient police force (including female constables) and appointing executive magistrate for constructing boundary on total 17.9084 hectare i.e. 44.25 acres land in Galland and Piplahaida. In reply of the abovementioned letter, it was informed by S.P. Hapur that after organization of 'Ganga Snan Mela' in Tehsil Garhmukhteshwar, District Hapur the police force will be available. Hence, regarding DM Hapur's aforesaid letter, police force was not made available by S.P. Hapur.



Pra

True copy of the letter dated 08.11.2022 are annexed herewith and marked as **ANNEXURE R3**.

5. On dated 15.11.2022 by Jan Kalyan Kisaan Welfare Samiti, Galland, the villagers, farmers of Galland and Piplahaida protested at the gate of Bhagwati Institute of Technology, Ghaziabad for consequently 2 days. After approximately one-week, members of Kisaan Welfare Samiti, villagers and political parties protested for indefinite period below Dasana Mussoorie Flyover and demanded for non- construction of Waste to energy plant and withdrawal of the FIR.

6. On 23.01.2023 DM, Hapur again made a correspondence to S.P. Hapur with respect to providing sufficient police force (with female constables) and appointing executive magistrate for constructing boundary on total 17,9084 hectare i.e. 44.25 acres land in Galland and Piplahaida. However, regarding DM Hapur's aforesaid letter, police force was not made available by S.P. Hapur.



True copy of the letter dated 23.01.2023 are annexed herewith and marked as **ANNEXURE R4**.

7. On dated 02.03.2023 a meeting was chaired by commissioner, Meerut division, Meerut with officials and the villagers of Galland and Piplahaida and necessary directions were issued to the officers in order to organize open meeting in village Galandh and extensively explain Waste to energy plant to villagers of both the villages.

True copy of the photographs of commissioner, Meerut division, Meerut and other officials meeting is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R5**.

8. On dated 24.03.2023 DM Hapur made a field inspection of the Demarcated land for Waste to energy plant in village Galland and necessary directions were issued to the officers in order to organize open meeting in village galandh and extensively explain Waste to energy plant to villagers of both the villages.

True copy of the photographs of DM Hapur and other officials field inspection is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R6**.

P. Man

9. On dated 26.04.2023 Commissioner Nagar Nigam, Ghaziabad, C.O. (Police) Pilakhua, Tehsildar-Dhaulana (along with revenue team) a joint meeting with villagers of Galland, Piplahaida and Jan Kalyan Kisan Welfare Samiti in Galland Panchayat Ghar was conducted in which the benefits of waste to energy plant were also extensively discussed with them. The villagers were also motivated about the same. However, the villagers of Galland and Jan Kalyan Kisan Welfare Samiti-Galland rejected the proposal.
True copy of the letter dated 05.06.2023 is annexed herewith and marked as ANNEXURE R7.

10. On dated 16.05.2023 DM, Hapur again made a correspondence to S.P. Hapur with respect to providing sufficient police force (along with female constables) in order to maintain law and order for constructing the waste Energy plant on total of 17.9084 hectare i.e. 44.25 acres land in Galland and Piplahaida. However, regarding DM Hapur's aforesaid letter, police force was not made available by S.P. Hapur.
True copy of the Letter dated 16.05.2023 is annexed herewith and marked as ANNEXURE R8.



11. On dated 01.06.2023 a meeting was organized by SDM Dhaulana with Ld. Advocates of Bar Association, Dhaulana and villagers of Galland regarding construction of waste Energy Plant and again on 02.06.2023 the villagers of Galland were extensively explained regarding the benefits of WASTE TO ENERGY PLANT. After this on dated 03.06.2023 DM, Hapur, S.P. Hapur, ASP Hapur, SDM Dhaulana (along with revenue team) and C.O. (Police) Pilkhua visited Galland and the benefits of WASTE TO ENERGY PLANT were explained in detail. However, villagers outrightly rejected the proposal for the construction of Waste to energy plant.
12. On dated 02.08.2024 DM, Hapur called for a meeting with villagers of Galland and Piplahaida along with officials in DM Office for construction of WASTE TO ENERGY PLANT and tried to convince the villagers for waste energy plant but the same was again outrightly opposed by the villagers.
13. On dated 05.08.2024 Commissioner, Nagar Nigam, Ghaziabad wrote a letter to DM, Hapur in which a request was made for organizing a meeting in Galland for construction of WASTE TO ENERGY PLANT (for disposal of garbage produced in village Galland along with other municipal area).

Pra

In compliance of the aforesaid letter Commissioner Nagar Nigam, Ghaziabad along with his team, SDM Dhaulana, Tehsildar Dhaulana (along with revenue team) and C.O. (Police) Pilkhua made a joint meeting with villagers of Galland, Piplahaida and Jan Kalyan Kisan Welfare Samiti- Galland in Galland Panchayat. In the meeting, the benefits of waste to energy plant were explained extensively to the villagers. Moreover, villagers were also encouraged by giving examples of the other states where the waste to energy plant were being constructed. However, the villagers and Jan Kalyan Kisan Welfare Samiti, Galland rejected the proposal.

True Copy of Photographs of commissioner Nagar Nigam, Ghaziabad and other officials field inspection is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R9**.



14. On dated 02.09.2024 DM, Hapur again chaired a meeting with officials for the construction of WASTE TO ENERGY PLANT at DM Office. But then also WASTE TO ENERGY PLANT was opposed by villagers. DM Hapur directed SDM Dhaulana to organize an open meeting in the village for the same.

15. In compliance of the directions dated 02.09.2024 given by DM Hapur, on dated 27.09.2024 revenue team organized open meeting in village Galland regarding the construction of waste to energy plant. However, again the proposal was denied straight away by the villagers. True copies of Spot memo of open meeting with villagers are annexed herewith and marked as **ANNEXURE R10**.

16. During all the above meetings the villagers of both the villages and the Jan Kalyan Samiti people continuously/constantly quoted the reasons as to why they are against the Construction of Waste to energy plant in their village area. The main reasons given by the villagers of both the villages and their Jan Kalyan Samiti are as follows: -

- That the population of village Galland and village Piplahaida is around 40,000-45,000 and waste energy Plant is approximately 1.5 kms away from of main Abadi area of village Galland and 0.5 kms away from the main Abadi area of village Piplahaida.

P
Prav

- Currently the plotting in both villages have reached near to waste to energy plant.
- With construction of WASTE TO ENERGY PLANT there is possibility of soil, water and air pollution.
- Construction of Waste Energy Plant will lead to contamination of Upper Ganga Canal.
- Instead of construction of garbage house of Ghaziabad Nagar Nigam in district Ghaziabad, the Plant is being constructed in District Hapur.
- Construction of the plant will result into Devaluation of the prices of the nearby land,
- Moreover, the said plant will have severe health issues and proximity of the plant to religious sites and educational institutions etc. is also problematic. (as specified by the villagers).
- Initially Waste to energy plant was supposed to be constructed in Dhundaheda, Ghaziabad and now they want to construct it in our village which is totally wrong as this will lead to the severe health problems. And we are opposing the dumping of waste materials since 2008. We don't want dumping of garbage of other areas in our village. The main thing is Now Hapur is a totally different District from Ghaziabad that is why we don't want the dumping waste in our villages.



17. That as the open meeting held at 27.09.2024 in the village Galland regarding the construction of Waste to energy plant remained unsuccessful and the minutes regarding the same along with detailed report were corresponded by SDM, Dhaulana to DM, Hapur vide letter no. 1204(1)ST-SDM/Dhaulana(2024) dated 27th September 2024 instantaneously DM, Hapur directed ADM(F/R), Hapur vide letter no. 1726(1)S.T./DM/2024 dated 27.09.2024 to organize an open meeting in village galandh on 01.10.2024 and persuade the villagers of both the villages for construction of Waste to energy plant. In compliance of the order dated 27.09.2024, Additional District Magistrate (F/R), Hapur on dated 01.10.2024 conducted a meeting with the villagers of both the villages and Jan Kalyan Kisan Welfare Samiti. That in the above-mentioned meeting construction of Waste to energy plant was out rightly opposed by them and above-mentioned reasons were repeated by them for the opposition of plant.

P

True copies of the correspondence's letters vide letter no. 1204(1) ST-SDM/Dhaulana (2024) and letter No. 1726(1)/S.T./DM/2024 dated 27.09.2024 is annexed herewith as **ANNEXURE R11**

18. That on dated 01.10.2024 the minutes and detailed report of the open meeting held at village Galland was corresponded by ADM(F/R), Hapur to DM, Hapur vide letter no. 13577/ST-ADM/2024. Considering the unsuccessful outcome of the above-mentioned meeting, DM, Hapur issued a letter vide letter no. 1851/ST-DM/2024 dated 01.10.2024 for organization of open meeting on 17.10.2024 at 1:00 pm under chairmanship of DM, Hapur in village Galland in order to have discourse with the villagers of both the villages regarding the construction of Waste Energy Plant so that they can be convinced/Persuaded for the plant.

True copies of the correspondence's letters vide letter no. 13577/ST-ADM/2024 and vide letter no. 1851/ST-DM/2024 dated 01.10.2024 is annexed herewith as **ANNEXURE 12**



[Signature]
DEPONENT
जिलाधिकारी,
हापुर।

VERIFICATION: -

Verified at _____ on this _____ day of October, 2024. That the contents of the above Affidavit from Paragraph 1 to 18 are believed to be correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

[Signature]
DEPONENT
हापुर।

No. 20 Date 01/10/24 Time 5.15 Age 34 Years
Certified that Shri. Prerna Sharma
appeared before me.
I read this Affidavit before me.
This is true.

Sharma D/o Shri Dushyant Kumar
District Magistrate Hapur

BODH KUMAR
[Signature]
Bodh Kumar
NOTARY
01-10-24
Hapur Dist Hapur (U.P)

कार्यालय
पत्रांक-

702

क्षेत्राधिकारी (पुलिस),
पिलखुवा

उपजिलाधिकारी धौलाना,
/एसओटीओ-एसओडीओएमओ/21

जिला हापुड़
दिनांक-22.10.2021

जिलाधिकारी महोदय के पृष्ठांकन आदेश सं० 1580/एसओटीओ-डीओएमओओ/21 दिनांक 20.10.2021 के द्वारा श्री राजीव ग्राम पंचायत सदस्य, जनककानन किरान संघर्ष समिति, गालन्द का पत्र जो मा० मुख्यमंत्री जी, ज० प्र० को संबोधित है, प्राप्त हुआ है। जिसमें कहा गया है कि एक वीडियो क्लिप से सोशल मीडिया पर चल रही है जिसमें एक गांधियवाद नम्बर दिग्गज के पार्षद जो अपना नाम अजय शर्मा बता रहे हैं। जो क्षेत्रीय विधायक और डीओएम साहब को संबोधित करके खुली चुनौती दे रहे हैं। ग्राम गालन्द, जनपद हापुड़ में 21 तारीख को कूड़ा डालने की बात कह रहे हैं। अंत में अन्य आरोप लगाते हुए कार्यवाही किये जाने की मांग की गई है। प्रार्थना पत्र आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि प्रकरण में जांच एवं विधिक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्तादारी को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

SI श्री राजीव शर्मा
जो पत्र 20/10/21 को संघर्ष समिति
को भेजा गया है।
जनपद हापुड़
क्षेत्राधिकारी (पुलिस)
पिलखुवा (मपुर)
22/10/21

(विजय वर्धन तोमर)
उपजिलाधिकारी
धौलाना

S.H.O. पिलखुवा
कृत जो पत्र को प्राप्त किया
कार्यवाही के लिए
आदेश प्रेषित किया
26/10
क्षेत्राधिकारी
पिलखुवा
जनपद-हापुड़

कार्यालय
पत्रांक-

१०९

उपजिलाधिकारी धौलाना,
/एस०टी०-एस०डी०एम०/२१

जिलाधिकारी,
हापुड़

जिला हापुड़
दिनांक-17.12.2021

महोदय,

श्री राजीव, अध्यक्ष/सचिव, जन कल्याण किसान वैलफेयर समिति, एन०एच० ९, जिन्दलनगर, स्कूल मार्केट, गालन्द, हापुड़ द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.2021 से अवगत कराया है कि नगर निगम गाजियाबाद द्वारा ग्राम गालन्द में बनाये जा रहे सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट का विरोध समिति द्वारा घरना करके चल रहा था जिसमें उपजिलाधिकारी, धौलाना द्वारा दिनांक 06.12.2021 को घरना स्थगित कराया था। ग्राम गालन्द के निर्दोष लोगो पर नगर निगम गाजियाबाद द्वारा थाना मसूरी पर अपराध सं०-979/2021 धारा 188, 269 आई०पी०सी० व थाना पिलखुवा पर अपराध सं०-641/2021 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 427, 332, 353 आई०पी०सी० व 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति अधिनियम व 7 क्रि०ला० एक्ट पंजीकृत कराये गये। उपरोक्त दोनो मुकदमों को वापिस किये जाने के संबंध में कार्यवाही कराये जाने की प्रार्थना की गई है व प्रश्नगत प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा घरना दिनांक 06.12.2021 को स्थगित करा दिया गया है एवं मौके पर शान्ति व्यवस्था बनी हुई है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

(सुनीता सिंह)
उपजिलाधिकारी
धौलाना

प्रतिलिपि-

1. श्री राजीव, अध्यक्ष/सचिव, जन कल्याण किसान वैलफेयर समिति, एन०एच० ९, जिन्दलनगर, स्कूल मार्केट, गालन्द, हापुड़।

उपजिलाधिकारी
धौलाना

ANNEXURE R2

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): हापुड़

P.S. (थाना): पिलखुआ

Year (वर्ष): 2021

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0641

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 24/11/2021 18:39

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	147
2	भा द सं 1860	148
3	भा द सं 1860	149
4	भा द सं 1860	323
5	भा द सं 1860	504
6	भा द सं 1860	506
7	भा द सं 1860	427
8	भा द सं 1860	332
9	भा द सं 1860	353
10	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3
11	आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1932	7

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day बुधवार
(दिन):Date From 24/11/2021
(दिनांक से):Date To 24/11/2021
(दिनांक तक):Time Period पहर 3
(समय अवधि):Time From 09:35 बजे
(समय से):Time To 09:35 बजे
(समय तक):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 24/11/2021 **Time (समय):** 16:59 बजे
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 038 **Date & Time** 24/11/2021 16:59 बजे
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. पश्चिम, 7 **Beat No.**
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): किमी (बीट सं.):
(b) **Address** नगर निगम की खाली पडी जमीन, जंगल ग्राम गालंद पिलखुवा
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. **District(State)**
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): श्री योगेश कुमार अवर अभियंता
 (b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम)
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1979
 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
 (e) UID No. (यूआईडी सं.):
 (f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	बी40यमुना बिहार ,कोतवाली देहात,बुलन्दशहर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	अवर अभियंता ,नगर निगम गाजियाबाद ,गाजियाबाद,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8178016825

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अजात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अजात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 200

**N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)**

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	कृष्णपाल		पिता का नाम : शिनन्दन सिंह	1. गालंट, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
2	विवेक तोमर चक्री वाला		पिता का नाम : बाबी सिंह	1. गालंट, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
3	योगेश तोमर		पिता का नाम : नैपाल सिंह	1. गालंट, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
4	फुल सिंह तोमर			1. गालंट, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
5	राजा तोमर महल वालो में			1. गालंट, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
6	योगेन्द्र सिंह टैम्पो वाला			1. गालंट, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
7	आशु तोमर		का नाम : हरिश चन्द	1. ग्राम गालन्ट, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
8	मनोज तोमर		का नाम : सरनाम सिंह	1. ग्राम गालन्ट, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
9	अरूण उर्फ मंत्री		पिता का नाम : मुकेश	1. ग्राम गालन्ट, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
10	योगेश		पिता का नाम : छज्जु	1. ग्राम गालन्ट, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
11	निक्की		पिता का नाम : गोपाल	1. ग्राम गालन्ट, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
12	शिवा		पिता का नाम : संजय	1. ग्राम गालन्ट, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
13	रोबिन		पिता का नाम : पप्पू	1. ग्राम गालन्ट, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
14	अनिल		पिता का नाम : पप्पू	1. ग्राम गालन्ट, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत

**N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)**

15	अनुराग तोमर		पिता का नाम : रमेश तोमर	1. ग्राम गालन्द, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
16	नीटू		पिता का नाम : गोपाल	1. गालन्द, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
17	अमन		पिता का नाम : सुरेन्द्र	1. ग्राम गालन्द, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
18	सतीश		पिता का नाम : रामभूल	1. ग्राम गालन्द, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
19	गोपाल उर्फ बाबा		पिता का नाम : मोमराज	1. ग्राम गालन्द, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
20	बन्टी		पिता का नाम : बलवीर	1. ग्राम गालन्द, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
21	उमेश		पिता का नाम : बलवीर	1. ग्राम गालन्द, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
22	विकास		पिता का नाम : मुकेश	1. ग्राम गालन्द, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
23	तुषार		पिता का नाम : दीपक फौजी	1. ग्राम गालन्द, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
24	योगेन्द्र		पिता का नाम : नैपाल	1. ग्राम गालन्द, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
25	अरूण		पिता का नाम : शिवकुमार	1. ग्राम गालन्द, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
26	हरिओम तोमर		पिता का नाम : शिवनन्दन	1. ग्राम गालन्द, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
27	सतवीर			1. ग्राम गालन्द, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
28	मनोज उर्फ बाबा		पिता का नाम : सन्नू	1. ग्राम गालन्द, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
29	दीपक तोमर		पिता का नाम : मुखबिर सिंह	1. ग्राम गालन्द, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत

**N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)**

30	रामचन्द्र शर्मा			1. ग्राम गालन्द, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
31	रहीसुदीन लारा		पिता का नाम : शहाबुद्दीन	1. ग्राम गालन्द, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
32	अजीत सिंह			1. ग्राम गालन्द, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
33	अरूण		पिता का नाम : सूरजपाल	1. ग्राम गालन्द, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
34	सुरेन्द्र		पिता का नाम : मुकद्दम	1. ग्राम गालन्द, पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
35	अज्ञात1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
--------------------	--	---------------------------------------	------------------------	--

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number
-------	-------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी टाईप शुदा सेवा में, श्रीमान प्रभारी निरीक्षक थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ महोदय, निवेदन है कि मैं प्रार्थी योगेश कुमार गाजियाबाद नगर निगम में अवर अभियन्ता के पद पर तैनात हूँ। ग्राम गालन्द स्थित नगर निगम गाजियाबाद की भूमि बहद ग्राम गालन्द में बाऊड़ी वाल का निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त निर्माणाधीन जमीन को नगर निगम गाजियाबाद द्वारा पूर्व में क्रय किया जा चुका है, जिसमें आज दिनांक 24.11.2021 को हमारे मजदूर नगर निगम की जमीन पर बाऊड़ी वाल का निर्माण करा रहे थे जिनके साथ मैं नगर निगम के अवर अभियन्ता व ठेकेदार तथा मजदूर मौके पर मौजूद थे कि समय करीब 09.35 बजे ग्राम गालन्द के निवासी गण अपने हाथों में लाठी डण्डा, कुदाल, फाफड़ा व अन्य घातक हथियार लेकर आये और सभी एक सामान्य उद्देश्य से प्रेरित होकर हमें व अन्य कर्मचारियों को मां बहन की गंटी गंटी गालियां दी और सबने

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

मिलकर मेरे उपर डराने धमकाने व काम रोकने के उद्देश्य से आक्रामक होकर हमलावर हो गये। एवं मजदूरों को मारपीट कर भगा दिया, मुझ लोक सेवक द्वारा बताया गया कि उक्त बाऊड़ी वाल का निर्माण कराना हमारा कर्तव्य है ऐसा बताने के बावजूद भी वे सभी लोग मुझे अपने विधिपूर्ण कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालते हुए हमलावर रहे और आपराधिक बल का प्रयोग करने लगे। इसके बाद समस्त लोगो ने मिलकर गाजियाबाद नगर निगम की लगभग 180 मीटर लम्बी और 8 फिट ऊंची बाऊड़ी वाल को गिराकर सरकारी / लोक सम्पत्ति को तोड़ दिया। मौके पर मेरे नगर निगम की जेसीबी संख्या UP 14JT 7384 व ट्रैक्टर UP14GT 1082 और टैन्ट तथा कुर्सियों को तोड़ फोड़ कर क्षति ग्रस्त कर दिया, जिस कारण नगर निगम गाजियाबाद को लगभग 10 (दस) लाख रुपये की राजस्व क्षति हुई है। इस घटना के कारण मसूरी से धौलाना जाने वाले गंगनहर मार्ग पर तमाम आने जाने वाले वाहनो एवं व्यक्तियों में भयकर दहशत फैल गयी और अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गयी, लोग गंग नहर में व जिधर भी रास्ता पाये उसी ओर भागने लगे। मौके पर इन उपदवी व्यक्तियों द्वारा अत्यन्त ही गम्भीर स्थिति बना दी गयी और शान्ति व्यवस्था को पूर्णतः छिन्न भिन्न कर दिया गया। मुझे सभी उपदवी व्यक्तियों ने कहा कि यदि यहां दोबारा दिखाई दोगे तो जान से मार देंगे, इस घटना में कृष्ण पाल सिंह पुत्र शिवनन्दन सिंह, विवेक तोमर चक्री वाला पुत्र बाबी सिंह, योगेश तोमर पुत्र नैपाल सिंह, फूल सिंह तोमर पुत्र अजात, राजा तोमर (महल वालो में) पुत्र अजात, योगेन्द्र सिंह टैम्पो वाला पुत्र अजात व आसु तोमर पुत्र हरिश चन्द, मनोज तोमर पुत्र सरनाम सिंह, अरूण उर्फ मंत्री पुत्र मुकेश, योगेश पुत्र छजू, निक्की पुत्र गोपाल, शिवा पुत्र संजय, रोबिन पुत्र पप्पू, अनिल पुत्र पप्पू, अनुराग तोमर पुत्र रमेश तोमर, नीटू पुत्र गोपाल, अमन पुत्र सुरेन्द्र, सतीश पुत्र रामभूल, गोपाल उर्फ बाबा पुत्र मोमराज, बन्टी पुत्र बलवीर, उमेश पुत्र बलवीर, विकास पुत्र मुकेश, तुषार पुत्र दीपक फौजी, योगेश पुत्र नैपाल, अरूण पुत्र शिवकुमार, हरिओम तोमर पुत्र शिवनन्दन, सतवीर पुत्र अजात, मनोज उर्फ बाबा पुत्र सन्नू, दीपक तोमर पुत्र मुखबिर सिंह, रामचन्द्र शर्मा पुत्र अजात, रहीसुद्दीन लारा पुत्र शहाबुद्दीन, अजीत सिंह पुत्र अजात, अरूण पुत्र सूरजपाल, सुरेन्द्र पुत्र मुकद्दम निवासी गण ग्राम गालन्द, थाना पिलखुवा, जनपद हापुड के अलावा लगभग 150-200 व्यक्ति और 20-25 महिलाए नाम पता अजात भी शामिल थे। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा घटना के सम्बन्ध में की गयी विधि विरुद्ध कृत्यों की विडियो ग्राफी भी की गयी जिसे आपको बाद में मैं उपलब्ध करा दूंगा। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त समस्त व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।
दिनांक 24.11.21 प्राथीSD अग्रेजी अपठित 24.11.2021
योगेश कुमार(अवर अभियन्ता) नगर निगम गाजियाबाद वी 40 यमुना पुरम थाना कोतवाली देहात जनपद बु0शहरमो0न0 8178016825नोट मैं का0 753 अभिषेक कुमार प्रमाणित करता हूं कि तहरीर की नकल कम्प्यूटर पर शब्द व शब्द टंकित की गयी है।

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है ।)

- (1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or
(या)
- (2) **Directed (Name of I.O.)** Shubham **Rank** SI (Sub-Inspector)
(जांच अधिकारी का नाम): Choudhary **(पद):**
- No.** 162483651 **to take up the Investigation**
(सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

- (4) **Transferred to P.S.** **District**
(थाना): (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी ।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge,
Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name SHO PILAKHUWA

Rank I (Inspector)

No. 9454403424

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Attachment to item 7 of First Information Report

(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:

(If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :

(यदि जात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms.) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					

2	पुरुष					
---	-------	--	--	--	--	--

3	पुरुष					
---	-------	--	--	--	--	--

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

4	पुरुष					
---	-------	--	--	--	--	--

5	पुरुष					
---	-------	--	--	--	--	--

6	पुरुष					
---	-------	--	--	--	--	--

7	पुरुष					
---	-------	--	--	--	--	--

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

8	पुरुष					
---	-------	--	--	--	--	--

9	पुरुष					
---	-------	--	--	--	--	--

10	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

11	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

12	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

13	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

14	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

15	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

16	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

17	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

18	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

19	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

20	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

21	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

22	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

23	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

24	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

25	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

26	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

27	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

28	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

29	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

30	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

31	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

32	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

33	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

34	पुरुष					
----	-------	--	--	--	--	--

35						
----	--	--	--	--	--	--

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

--	--	--	--	--	--	--

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)

कार्यालय

जिलाधिकारी

हापुड़।

पत्रांक 1198 /एस0टी0-डी0एम0/2022

दिनांक 08/11/2022

पुलिस अधीक्षक,
हापुड़।

विषय- ग्राम गालन्द व ग्राम पिपलहेडा में कुल 17.9084 हे० अर्थात् 44.25 एकड़ भूमि की चाहरदीवारी कराने हेतु स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) एवं गजिस्ट्रेट तैनात किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद के कार्यालय पत्रांक-1607/न0आ0/2022-23 दिनांक 06.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करें। संदर्भित पत्र द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजनान्तर्गत शासन के आदेशानुसार गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र सहित जनपद की अन्य नगरीय निकाय क्षेत्र में उत्तसर्जित होने वाले कूड़े के निस्तारण हेतु ग्राम गालन्द व ग्राम पिपलहेडा में गाजियाबाद नगर निगम के स्वामित्व की कुल 17.9084 हे० अर्थात् 44.25 एकड़ भूमि पर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की स्थापना का कार्य कराया जाना है। दिनांक 01.09.2022 से उक्त स्थल पर चाहरदीवारी निर्माण का कार्य प्रारम्भ कराया गया किन्तु क्षेत्रवासियों के विरोध के कारण उक्त कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका है।

उक्त प्रकरण हेतु तहसीलदार, धौलाना को गजिस्ट्रेट नामित करते हुये, निर्देशित किया जाता है कि नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद के संदर्भित पत्र में वर्णित स्थल पर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की स्थापना के लिये चाहरदीवारी का निर्माण कार्य के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।

अतः आप प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत स्थल की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने हेतु नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद से सम्बन्ध स्थापित करते हुए उपरोक्त स्थल पर 40 दिन तक पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराते हुए अवगत कराये, ताकि उक्त स्थल पर चाहरदीवारी निर्माण का कार्य शान्तिपूर्ण/निर्बाध रूप से पूर्ण कराया जा सके।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

Medha Rifa
(मिथा रूपम)
जिलाधिकारी,
हापुड़।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
2. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
3. नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद।
4. तहसीलदार, धौलाना को उपरोक्तानुसार आदेश पालनार्थ।

जिलाधिकारी,
हापुड़।

कार्यालय

जिलाधिकारी

हापुड़।

क्रमांक 502 / एसओटीओ-डीओएम/2023

दिनांक 23-01-2023

परिपत्र अधीनक.

हापुड़।


विषय- ग्राम मालन्द व ग्राम पिपलहैडा में कुल 17.9084 हे० अर्थात् 44.25 एकड़ भूमि की चाहरदीवारी कराने हेतु स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) एवं मजिस्ट्रेट तैनात किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद के कार्यालय क्रमांक-1607/नोआ/2022-23 दिनांक 08.10.2022 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय क्रमांक-1198/एसओटीओ-डीओएम/2022 दिनांक 08.11.2022 का स्विकार प्रार्थना करें। संदर्भित पत्र द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रदूषण से जनसमर्पित शासन के आदेशानुसार गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र सहित जनपद की अन्य नगरीय निकायों में उपसर्जित होने वाले कूड़े के निस्तारण हेतु ग्राम मालन्द व ग्राम पिपलहैडा में गाजियाबाद नगर निगम के स्वामित्व की कुल 17.9084 हे० अर्थात् 44.25 एकड़ भूमि पर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की स्थापना हेतु आपसे अपेक्षा की गयी थी कि आप नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद से सम्बन्ध स्थापित करते हुए उपरोक्त स्थल पर 40 दिन तक पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराते हुए अवगत करायें।

तत्संदर्भ में अवगत कराना है कि क्षेत्रवासियों के विरोध के कारण उक्त कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका है, जिसके कारण नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद के द्वारा पुनः उक्त स्थल पर चाहरदीवारी निर्माण का कार्य प्रारम्भ कराये जाने के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।


अतः उक्त वर्णित स्थल पर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की स्थापना के लिये चाहरदीवारी का निर्माण कार्य के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तहसीलदार, धौलाना को मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। साथ ही आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त प्रकरण की गहरता को सुदृष्टगत रखते हुए प्रश्नगत स्थान की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने हेतु नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद से सम्बन्ध स्थापित करते हुए उपरोक्त स्थल पर 40 दिन तक पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराते हुए अवगत कराए, ताकि उक्त स्थल पर चाहरदीवारी निर्माण का कार्य शान्तिपूर्ण/निर्विघ्न रूप से पूर्ण कराया जा सके।

प्रतिक्रमक- उपरोक्त अनुरोध।


(मिथा रूपम)
जिलाधिकारी,
हापुड़।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
2. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
3. नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद।
4. तहसीलदार, धौलाना को उपरोक्तानुसार आदेश पत्र-वार्थ।


जिलाधिकारी,
हापुड़।





प्रेषक

जिलाधिकारी,
हापुड़।

सेवा में

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इन्वेस्ट यूपीओ, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक- 16375 /एल0वी0सी0-डी0एम0-हापुड़/2023

दिनांक: 05 जून, 2023

विषय- अवरस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में इन्वेस्ट यूपी की संचालन समिति स्टियरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 06.06.2023 को अपरान्ह 03:00 बजे आहूत बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक इयूपी/16607/संचालन समिति (नई)/2023-24/आरडी दिनांक 01 जून, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06.06.2023 को अपरान्ह 03:00 बजे कक्ष सं0 111, प्रथम उत्तर-योजना भवन लखनऊ में इन्वेस्ट यूपी की संचालन समिति स्टियरिंग कमेटी की प्रस्तावित बैठक में विभाग से सम्बन्धित एजेण्डा बिन्दु पर सुस्पष्ट आख्या/कृत कार्यवाही से इन्वेस्ट यूपी को अद्यतन स्थिति की आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, धौलाना से आख्या प्राप्त की गयी। उपजिलाधिकारी धौलाना द्वारा अपने पत्रांक 199/एस0टी0-एस0डी0एम0 दिनांक 05 जून, 2023 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी आख्या में अज्ञात कराया गया कि जनपद हापुड़ से सम्बन्धित बिन्दु पर सुस्पष्ट आख्या/कृत कार्यवाही की अद्यतन आख्या निम्नवत् है-

- ग्राम मालन्द (रकबा 8.032 हे0) व ग्राम पिपलेहड़ा (रकबा 9.878 हे0) में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट बनाने हेतु दोनों ग्रामों की भूमि वर्ष 2018-2019 में नगर निगम गाजियाबाद को दी गयी थी। सम्बन्ध से ही उपखत विवाद चल रहा है।
- ग्राम पिपलेहड़ा व मालन्द में नगर निगम क द्वारा लगभग 17.5084 हे0 भूमि पर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के निर्माण से गाँव के नजदीक होने के कारण दोनों गाँवों के व्यक्तियों द्वारा निर्माण न करने हेतु विरोध किया जा रहा है।
- ग्रामवासियों द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट का निर्माण न होने देने का मुख्य कारण यह है कि गाजियाबाद नगर निगम का कूड़ा घर गाजियाबाद जिले में न बनाकर हापुड़ जिले में बनाया जा रहा है।
- ग्रामवासियों का कहना है कि वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट हेतु प्रस्तावित भूमि के पास से ऊपरी मंग नहर गुजरती है, जिस कारण नहर का जल दूषित होने एवं वायु प्रदूषण बढ़ने से क्षेत्र में सक्रमणीय बीमारी फैलने की प्रबल सम्भावना होगी।
- एक अन्य मुख्य कारण वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट का निर्माण न होने देने का यह भी है कि ग्राम पिपलेहड़ा व मालन्द में प्रॉपर्टी डीलर्स द्वारा आस-पास के क्षेत्र में प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है।
- वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के निर्माण से आस-पास के क्षेत्र का भूमि की कीमतों में कमी आयेगी। यही कारण बनाकर किसानों को भी विरोध का लिए इकट्ठा किया जाता है।

- विवाद के समाधान के लिए गाजियाबाद नगर निगम व प्राधिकरण के अतिरिक्त तहसील धौलाना स्तर से भी उपजिलाधिकारी धौलाना द्वारा ग्रामवासियों से वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट निर्माण विये जाने के सम्बन्ध में कई बार लगातार बातों की गयीं। लेकिन ग्रामवासियों द्वारा उक्त कारणों से विरोध करने के कारण वार्ता विफल रही तथा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट में कार्य करने हेतु कई बार गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारी मग पर्याप्त पुलिस बल मय तहसील राजस्व टीम के द्वारा मौके पर उपस्थित हुये। लेकिन ग्रामवासियों के भारी विरोध के कारण उच्चाधिकारियों के निर्देश पर वापिस आना पड़ा (कोर्ट में विचारार्थीन वाद की स्थिति के सम्बन्ध में गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा अवगत कराया जा सकता है)
- वर्तमान में काम होने पर डी०पी०आर० के सम्बन्ध में गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा अवगत कराया जा सकता है। बार-बार पुलिस फोर्स मय अधिकारियों के जाने के बावजूद ग्रामवासियों के विरोध के कारण कार्य नहीं कराया जा सका है। ग्राम मालन्द की जनसंख्या लगभग 25 से 30 हजार (हिन्दु राजपूत बहुल्य) एवं ग्राम पिपलीहड़ा की जनसंख्या लगभग 30 से 35 हजार (मुस्लिम बहुल्य) है। वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की प्रस्तावित भूमि की दूरी ग्राम मालन्द की आवादी से 1.5 कि०मी० तथा ग्राम पिपलीहड़ा की आवादी से 02 कि०मी० एवं मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग से 2 कि०मी० है। प्रस्तावित भूमि पर पहुँचने हेतु सस्ता ऊपरी मग नहर की पटरी से है।
- पूर्व में वर्ष 2021 में मौके पर चारदीवारी करने का प्रयास किया गया। किन्तु ग्रामवासियों/फिस्तानों के विरोध के कारण प्रयास विफल रहा।

कृत कार्यवाही:-

दिनांक 26.04.2023 को राजस्व ग्राम मालन्द में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना/निर्माण के सम्बन्ध में ग्राम मालन्द की पंचायत घर पर समय 12.00 बजे श्री नितीन गौड़ (आई०ए०एस०) नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम गाजियाबाद की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।

उक्त बैठक राजस्व ग्राम मालन्द में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण/नगर निगम द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना/निर्माण हेतु अधिग्रहित की गयी भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा वर्ष 2006 से विरोध किया जा रहा है। पूर्व में कई बार उच्चाधिकारियों द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की बाउण्ड्री/निर्माण करने हेतु प्रयास किये गये एवं विभिन्न बार बैठकों भी की गयी हैं। परन्तु कोई परिणाम न निकलने के कारण पुनः ग्रामवासियों को वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट लगाये जाने एवं प्रोत्साहित करने हेतु राजस्व ग्राम मालन्द तहसील धौलाना जनपद हाफुड़ में दिनांक 26.04.2023 को श्री नितीन गौड़ (आई०ए०एस०) नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम गाजियाबाद की अध्यक्षता में क्षेत्राधिकारी (पुलिस), पिलाखुवा, तहसीलदार धौलाना, नायर तहसीलदार धौलाना, क्षेत्रीय लखपाल जनकल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्य तथा ग्रामवासियों की उपस्थिति में पंचायत घर मालन्द पर लगभग समय दोपहर 12.00 बजे बैठक का आयोजन किया गया।

उक्त बैठक में नगर आयुक्त महोदय गाजियाबाद द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों को विस्तार से समझाया गया कि वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट नीदरलैंड्स की कम्पनी द्वारा बनाया जायेगा। जिसमें सभी स्टैंडर्ड्स का अनुसरण किया जायेगा जिससे क्षेत्रवासियों को विकास एवं रोजगार प्राप्त होगा। प्लान्ट से किसी भी प्रकार की दुर्गन्ध आदि नहीं आयेगी। उपजिलाधिकारी, धौलाना द्वारा ग्रामवासियों को समझाया गया कि प्लान्ट के निर्माण से ग्राम मालन्द एवं आस-पास के ग्रामों का वातावरण स्वच्छ रहेगा। प्लास्टिक आदि के कचरे से ग्रामवासियों को मुक्ति मिलेगी। इस तरह के प्लान्ट विश्व में कुछ ही स्थानों पर अभी तक स्थापित हुए हैं। इस प्लान्ट में कूड़ा, कचरा आदि डिस्पोज किया जायेगा एवं उससे विजली का उत्पादन किया जायेगा।

सभी उपस्थित अधिकारियों/राजस्व टीम द्वारा ग्रामवासियों को समझाने का प्रयास किया गया। परन्तु ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में जब तक वाद मा० उच्च न्यायालय में विचारार्थीन है तब तक इस प्रकरण में सभी उपस्थित कोई सहमति नहीं देना चाहते। इस प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय में विचारार्थीन वाद में अन्तिम आदेश होने के बाद ही किसी प्रकार की चर्चा करना सम्भव है। ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट व्यक्त किया गया कि पहले इस प्लान्ट को दण्डादेश गाजियाबाद में बनाया जा रहा है अब भी इसे वहीं बनाया जाये। बाहर का कूड़ा हनारें ग्राम को उपचारण दूषित करेगा। जिस पर उपजिलाधिकारी, धौलाना एवं नगर आयुक्त महोदय द्वारा ग्रामवासियों को समझाया बुझाया गया कि दूसरे

जो भी इस प्रकार के प्लान्ट निर्मित किये जा रहे हैं एवं यह प्रोजेक्ट मण्डल स्तर पर निर्माण किये जा रहे हैं। ग्रामवासियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि वर्ष 2008 से इस प्रोजेक्ट का क्षेत्र/ग्रामवासियों द्वारा विरोध जताया जा रहा है किसी बाहरी स्थान से लाया गया कूड़ा/कचरा हम ग्रामवासी अपने क्षेत्र में नहीं डलवाना चाहते। इसके उपरान्त भी उपरिष्ठ अधिकतर ग्रामवासियों द्वारा प्लान्ट के निर्माण का विरोध किया जा रहा है।

ग्रामवासियों से बात कराने पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्लान्ट के निर्माण के सम्बन्ध में ग्रामवासियों द्वारा केवल विरोध किया जा रहा है। विरोध हेतु कतिपय कारणों से उपरिष्ठ ग्रामवासी विरोध करने पर अड़े थे और लगातार विरोध कर रहे थे।

उपरोक्त के अतिरिक्त उपजिलाधिकारी धौलाना द्वारा दिनांक 01.06.2023 को वार एसोसिएशन धौलाना के सम्मानित अधिवक्तागणों एवं ग्राम गालन्द के निवासियों के साथ बैठक की गई। चूंकि वार एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया था। बैठक में उपरिष्ठ अधिवक्तागण एवं ग्राम गालन्दवासियों को वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की अच्छाईयों से अवगत कराया गया, बैठक में उपरिष्ठ अधिवक्तागण एवं ग्रामवासी कुछ हद तक तो सहमत हुये किन्तु पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई।

दिनांक 02.06.2023 को पुनः ग्राम गालन्द में जाकर ग्रामवासियों के साथ बैठक कर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के बारे में समझाया गया, जिसमें ग्रामवासी हरिओम, मो0नं0- 9756955248, राजीव तोमर, मो0नं0-8194058841, मनोज तोमर, मो0नं0-8384869402, आशु तोमर मो0नं0-8130476732, दीपक तोमर, मो0नं0-8279661695, प्रदीप तोमर, मो0नं0-9058121492, अचल सिंह, मो0नं0-9756794315 व ग्राम प्रधान, मो0नं0 जेरी, मो0नं0-9837200598 उपरिष्ठ रहे।

इसके पश्चात दिनांक 03.06.2023 को अधोस्तक्षरी, पुलिस अधीक्षक, हापुड़, अपर पुलिस अधीक्षक, हापुड़, के साथ उपजिलाधिकारी, धौलाना (गव राजस्व टीम) एवं सहायिका (पुलिस) मिलखुवा, द्वारा ग्राम गालन्द में पहुँचकर ग्रामवासियों को वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के फायदे के बारे में समझाया गया, परन्तु ग्रामवासियों द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के निर्माण का विरोध किया गया। ग्रामवासियों को अवगत कराया गया कि अभी केवल बाऊण्टी बनाई जा रही है, कोई कूड़ा घर नहीं बनाया जा रहा है। बाऊण्टी बनाने के बाद कम्पनी द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट निर्माण की अनुमति के लिये आवेदन किया जायेगा। अनुमति मिलने के बाद ही वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट का निर्माण हो सकेगा।

ग्रामवासियों को समझाया गया कि प्लान्ट के निर्माण से आस-पास के क्षेत्र का वातावरण स्वच्छ होगा। प्लास्टिक आदि के कचरे से मुक्ति मिलेगी। अभी किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा घर नहीं बन रहा है, और न ही इससे किसी भी प्रकार की कोई गन्दगी क्षेत्र में फैलेगी। प्लान्ट में कूड़ा, कचरा आदि डिस्पोज किया जायेगा एवं उससे बिजली का उत्पादन किया जायेगा, जिससे आस-पास स्थापित उद्योगों एवं ग्रामीण क्षेत्र को सुगम विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इनके बावजूद भी कुछ ग्रामवासियों द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के निर्माण का लगातार विरोध किया जा रहा है।

उपरिष्ठानुसार आस्था महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीया,

 (प्रेमा शर्मा)
 जिलाधिकारी,
 हापुड़।

प्रतिलिपि:-

प्रमुख, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।


 जिलाधिकारी,
 हापुड़।

कार्यालय : उपजिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट, धौलाना (हापुड़)

9454449851

Msdmdhlhp@nic.in

संख्या- 199/एस0टी0-एस0डी0एम0(2023)

दिनांक- 05 जून, 2023

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
हापुड़।

विषय:- ग्राम गालन्द व पिपलेहड़ा में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा बनाये जा रहे
वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के सन्दर्भ में अद्यतन स्थिति:-

महोदय,

कृपया आपके मौखिक निर्देशों के क्रम में ग्राम गालन्द व पिपलेहड़ा में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा बनाये जा रहे वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के सन्दर्भ में अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अद्यतन स्थिति निम्नवत् है:-

- ग्राम गालन्द (रकबा 8.032 है0) व ग्राम पिपलेहड़ा (रकबा 9.876 है0) में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट बनाने हेतु दोनों ग्रामों की भूमि वर्ष 2018-2019 में नगर निगम गाजियाबाद को दी गयी थी। तत्समय से ही लगातार विवाद चल रहा है।
- ग्राम पिपलेहड़ा व गालन्द में नगर निगम के द्वारा लगभग 17.9084 है0 भूमि पर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के निर्माण से गाँव के नजदीक होने के कारण दोनों गाँवों के ज्वितारियों द्वारा निर्माण न करने हेतु विरोध किया जा रहा है।
- ग्रामवासियों द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट का निर्माण न होने देने का मुख्य कारण यह है कि गाजियाबाद नगर निगम का कूड़ा घर गाजियाबाद जिले में न बनाकर हापुड़ जिले में बनाया जा रहा है।
- ग्रामवासियों का कहना है कि वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट हेतु प्रस्तावित भूमि के पास से ऊपरी गंग नहर गुजरती है, जिस कारण नहर का जल दूषित होने एवं वायु प्रदूषण बढ़ने से क्षेत्र में संक्रमणीय बीमारी फैलने की प्रबल सम्भावना होगी।
- एक अन्य मुख्य कारण वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट का निर्माण न होने देने का यह भी है कि, ग्राम पिपलेहड़ा व गालन्द में प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा आस-पास के क्षेत्र में प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है।
- वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के निर्माण से आस-पास के क्षेत्र की भूमि की कीमतों में कमी आयेगी। यही आधार बनाकर किसानों को भी विरोध के लिए इकट्ठा किया जाता है।
- विवाद के समाधान के लिए गाजियाबाद नगर निगम व प्राधिकरण के अतिरिक्त तहसील धौलाना स्तर से भी उपजिलाधिकारी धौलाना द्वारा ग्रामवासियों से वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में कई बार लगातार वार्ता की गयी। लेकिन ग्रामवासियों द्वारा उक्त कारणों से विरोध करने के कारण वार्ता विफल रही, तथा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट में कार्य कराने हेतु कई बार गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारी मय पर्याप्त पुलिस बल मय तहसील राजस्व टीम के द्वारा मौके पर उपस्थित हुये। लेकिन ग्रामवासियों के भारी विरोध के कारण उच्चाधिकारियों के निर्देश पर वापिस आना पड़ा (कोर्ट में विधाराधीन वाद की स्थिति के सम्बन्ध में गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा अवगत कराया जा सकता है)

- वर्तमान में काम होने पर डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा अवगत कराया जा सकता है। बार-बार पुलिस फोर्स गय अधिकारियों के जाने के बावजूद ग्रामवासियों के विरोध के कारण कार्य नहीं कराया जा सका है। ग्राम गालन्द की जनसंख्या लगभग 25 से 30 हजार (हिन्दु राजपूत बहुल्य) एवं ग्राम पिपलैहड़ा की जनसंख्या लगभग 30 से 35 हजार (मुस्लिम बहुल्य) है। वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की प्रस्तावित भूमि की दूरी ग्राम गालन्द की आबादी से 1.5 कि०मी० तथा ग्राम पिपलैहड़ा की आबादी से 02 कि०मी० एवं मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग से 2 कि०मी० है। प्रस्तावित भूमि पर पहुँचने हेतु सस्ता ऊपरी गंग नहर की पटरी से है।
- पूर्व में वर्ष 2021 में मौके पर चारदीवारी करने का प्रयास किया गया। किन्तु ग्रामवासियों/ किसानों के विरोध के कारण प्रयास विफल रहा।

की गई कार्यावाही:-

दिनांक 26.04.2023 को राजस्व ग्राम गालन्द में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना/निर्माण के सम्बन्ध में ग्राम गालन्द की पंचायत घर पर समय 12.00 बजे श्री नितिन गौड़ (आई०ए०एस०) नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम गाजियाबाद की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।

उक्त बैठक राजस्व ग्राम गालन्द में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण/नगर निगम द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना/निर्माण हेतु अधिग्रहित की गयी भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा वर्ष 2008 से विरोध किया जा रहा है। पूर्व में कई बार उच्चाधिकारियों द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की वाउण्ड्री/निर्माण कराने हेतु प्रयास किये गये एवं विभिन्न बार बैठके भी की गयी हैं। परन्तु कोई परिणाम न निकलने के कारण पुनः ग्रामवासियों को वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट लगाये जाने एवं प्रोत्साहित करने हेतु राजस्व ग्राम गालन्द तहसील धौलाना जनपद हापुड़ में दिनांक 26.04.2023 को श्री नितिन गौड़ (आई०ए०एस०) नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम गाजियाबाद की अध्यक्षता में क्षेत्राधिकारी (पुलिस) पिलखुवा, तहसीलदार धौलाना, नायब तहसीलदार धौलाना, क्षेत्रीय लेखपाल, जनकल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्य तथा ग्रामवासियों की उपस्थिति में पंचायत घर गालन्द पर लगभग समय दोपहर 12.00 बजे बैठक का आयोजन किया गया।

उक्त बैठक में नगर आयुक्त महोदय गाजियाबाद द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों को विस्तार से समझाया गया कि वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट गीदरलैण्ड की कम्पनी द्वारा बनाया जायेगा। जिसमें सभी स्टैण्डर्ड्स का अनुसरण किया जायेगा जिससे क्षेत्रवासियों को विकास एवं रोजगार प्राप्त होगा। प्लान्ट से किसी भी प्रकार की दुर्गन्ध आदि नहीं आयेगी। उपजिलाधिकारी, धौलाना द्वारा ग्रामवासियों को समझाया गया कि प्लान्ट के निर्माण से ग्राम गालन्द एवं आस-पास के ग्रामों का वातावरण स्वच्छ रहेगा। प्लास्टिक आदि के कचरे से ग्रामवासियों को मुक्ति मिलेगी। इस तरह के प्लान्ट विश्व में कुछ ही स्थानों पर अभी तक स्थापित हुए हैं। इस प्लान्ट में कूड़ा, कचरा आदि डिस्पोज किया जायेगा एवं उससे बिजली का उत्पादन किया जायेगा।

सभी उपस्थित अधिकारियों/राजस्व टीम द्वारा ग्रामवासियों को समझाने का प्रयास किया गया। परन्तु ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में जब तक वाद मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तब तक इस प्रकरण में सभी ग्रामवासी कोई सहमति नहीं देना चाहते। इस प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद में अन्तिम आदेश होने के बाद ही किसी प्रकार की चर्चा करना सम्भव है। ग्रामवासियों द्वारा रोष व्यक्त किया गया कि पहले इस प्लान्ट को झून्डाहेड़ा गाजियाबाद में बनाया जा रहा था अब भी इसे वहीं बनाया जाये। बाहर का कूड़ा हमारे ग्राम का वातावरण दूषित करेगा। जिस पर उपजिलाधिकारी, धौलाना एवं नगर आयुक्त महोदय

द्वारा ग्रामवासियों को समझाया बुझाया गया कि दूसरे क्षेत्रों में भी इस प्रकार के प्लान्ट निर्मित किये जा रहे हैं एवं यह प्रोजेक्ट मण्डल स्तर पर निर्माण किये जा रहे हैं। ग्रामवासियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि वर्ष 2008 से इस प्रोजेक्ट का क्षेत्र/ग्रामवासियों द्वारा विरोध जताया जा रहा है किसी बाहरी स्थान से लाया गया कूड़ा/कचरा हम ग्रामवासी अपने क्षेत्र में नहीं डलवाना चाहते। इसके उपरान्त भी उपरिथत अधिकतर ग्रामवासियों द्वारा प्लान्ट के निर्माण का विरोध किया जा रहा है।


ग्रामवासियों से वार्ता करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्लान्ट के निर्माण के सम्बन्ध में ग्रामवासियों द्वारा केवल विरोध किया जा रहा है। विरोध हेतु कतिपय कारणों से उपरिथत ग्रामवासी विरोध करने पर अड़े थे और लगातार विरोध कर रहे थे।

उपरोक्त के अतिरिक्त उपजिलाधिकारी धौलाना द्वारा दिनांक 01.06.2023 को वार एसोसिशन धौलाना के सम्मानित अधिवक्तागणों एवं ग्राम गालन्द के निवासियों के साथ बैठक की गई। चूंकि वार एसोसिशन के पदाधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी महोदया को सम्बोधित ज्ञापन वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया था। बैठक में उपरिथत अधिवक्तागण एवं ग्राम वामवासियों को वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की अच्छाईयों से अवगत कराया गया, बैठक में उपरिथत अधिवक्तागण एवं ग्राम वामवासी कुछ हद तक तो सहमत हुये किन्तु पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई।

दिनांक 02.06.2023 को पुनः ग्राम गालन्द में जाकर ग्रामवासियों के साथ बैठक कर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के बारे में समझाया गया, जिसमें ग्रामवासी हरिओम, मो0नं0- 9756955248, राजीव तोमर, मो0नं0-8194058841, मनोज तोमर, मो0नं0-8384868402, आशु तोमर, मो0नं0-8130476732, दीपक तोमर, मो0नं0-8279961695, प्रदीप तोमर, मो0नं0-9058121492, अचल सिंह, मो0नं0-9756794315 व ग्राम प्रधान, संजय कोरी, मो0नं0-9837590598 उपरिथत रहे।

इसके पश्चात दिनांक 03.06.2023 को जिलाधिकारी महोदया, हापुड़, पुलिस अधीक्षक महोदय, हापुड़, अवर पुलिस अधीक्षक, हापुड़, के साथ उपजिलाधिकारी, धौलाना (मय राजस्व टीम) एवं क्षेत्राधिकारी (पुलिस) पिलखुवा, द्वारा ग्राम गालन्द में पहुँचकर ग्रामवासियों को वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के फायदे के बारे में समझाया गया, परन्तु ग्रामवासियों द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के निर्माण का विरोध किया गया। जिलाधिकारी महोदया द्वारा ग्रामवासियों को अवगत कराया गया कि अभी केवल बाऊण्डी बनाई जा रही है, कोई कूड़ा घर नहीं बनाया जा रहा है। बाऊण्डी बनने के बाद कम्पनी द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट निर्माण की अनुमति के लिये आवेदन किया जायेगा। अनुमति मिलने के बाद ही वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट का निर्माण हो सकेगा।

जिलाधिकारी महोदया, हापुड़ द्वारा ग्रामवासियों को समझाया गया कि प्लान्ट के निर्माण से आस-पास के क्षेत्र का वातावरण स्वच्छ होगा। प्लास्टिक आदि के कचरे से मुक्ति मिलेगी। अभी किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा घर नहीं बन रहा है, और न ही इससे किसी भी प्रकार की कोई गन्दगी क्षेत्र में फैलेगी। प्लान्ट में कूड़ा, कचरा आदि डिस्पोज किया जायेगा एवं उससे बिजली का उत्पादन किया जायेगा। इसके बावजूद भी ग्रामवासी वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट का निर्माण नहीं होने दे रहे हैं।


उपजिलाधिकारी
धौलाना

अनुस्मारक-द्वितीय

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट हापुड़।

पत्रांक: 16226

/21-एल0बी0सी0/2023

दिनांक: 16 मई, 2023

पुलिस अधीक्षक

हापुड़।

विषय: दिनांक 24.03.2023 को अवरस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न उच्च

स्तरीय इन्वेस्टमेंट, यू0पी0/उद्योग वन्धु की बैठक के कार्यवृत्त के अनुपालन आख्या के संबंध में।


उपरोक्त विषयक राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय, राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या पी0एम0यू0/8123/429(15)/2022-23 दिनांक 20 अप्रैल, 2023 एवं संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1913/नौ-5-2023-352सा/2016 दिनांक 11.04.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रोटोकॉल आफिसर, इन्वेस्ट यू0पी0, लखनऊ के पत्र संख्या-इन्ट0यू0पी0/16399/1487-11/2022-23/डी0टी0सी0 दिनांक 25.03.2023 के साथ नगर निगम गाजियाबाद में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना हेतु अवरस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 24.03.2023 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त की छाया प्रति प्रेषित करते हुये, कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कराते हुये, कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

प्रकरण के संबंध में उपजिलाधिकारी, धौलाना द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 200/र0का0/2022-23 दिनांक 16 मई, 2023 के माध्यम से अनुपालन आख्या उपलब्ध कराते हुये, अंकित किया गया कि दिनांक 26.04.2023 को राजस्व ग्राम गालन्द में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना/निर्माण के सम्बन्ध में ग्राम गालन्द की पंचायत घर पर श्री नितिन गौड़ (आई0ए0ए0ए0) नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद की अध्यक्षता में पुलिस क्षेत्राधिकारी पिलखुवा, तहसीलदार धौलाना, नायब तहसीलदार धौलाना, क्षेत्रीय लेखपाल, जनकल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्य तथा ग्रामवासियों की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। ग्रामवासियों से वार्ता करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्लान्ट के निर्माण के संबंध में ग्रामवासियों द्वारा केवल विरोध किया जा रहा है। कतिपय कारणों से उपस्थित ग्रामवासी विरोध करने पर अड़े थे और लगातार विरोध कर रहे थे। अन्त में यह भी उल्लेखित किया गया है कि अतिमहत्वपूर्ण वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के निर्माण का कार्य का पर्याप्त पुलिस बल/ महिला पुलिस बल के साथ ही योजनाबद्ध तरीके से सम्पादित किया जा सकता है।

प्रकरण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 1198/एस0टी0-डी0एम0/2022 दिनांक 08.11.2022 एवं प्रथम अनुस्मारक पत्रांक 582/एस0टी0-डी0एम0/2023 दिनांक 23.01.2023 के माध्यम से पूर्व में स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल (महिला बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किए गए हैं।

अतः उक्त के क्रम में उपजिलाधिकारी, धौलाना द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 200/र0का0/2022-23 दिनांक 16 मई, 2023 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी आख्या संलग्न कर पुनः इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण की महत्ता एवं वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना के दौरान मौके पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत मौके पर समुचित पुलिस बल तैनात कराने का कष्ट करें। जिससे प्रकरण में आगम कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा सके।

संलग्न: यथोपरि।


(प्रियंका शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट,
हापुड़।

प्रतिलिपि/- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
3. उपजिलाधिकारी, धौलाना।


जिला मजिस्ट्रेट,
हापुड़।



उपासीली-पुन
 आज दिनांक 27/7/24 स्थित ग्राम जाला, परगा
 डालना, लहसील डौलाणा, जगपद हापड़ में
 पंचायत घर में जेपी गाडों के सन्दर्भ में बैंक
 आयोग में जेपी बैंक में उपासीली सम्मानित ग्राम -
 बोसी में बैंक में सुरक्षा कालम निम्न अवधि
 (i) जेपी नहर के पूरा जल सुविधा एवं नाला
 खदने का सबब
 (ii) धार्मिक स्थान, जैसाकि संस्था में सबब
 (iii) जाला एवं पिपलहेड़ा में जमीन में
 में सबब, जैसाकि संस्था में सबब
 (iv) जाजिवावा तिले का कड़ा संवर्धन हापड़ जमीन में
 होना जारी

संजय कुमार ग्राम जाला, परगा
 सहायक निरीक्षक (ग्राम) उपासीली

27/7/24

शजीव तोमर
 8194058851
 वाईवा
 9895807400
 राजवासी नगर

8449681319 (शजीव तोमर)
 9456955248
 Manoj Tomar Advocate
 Pradeep Tomar
 Vipin Tomar
 Aman Kumar
 Keshav Singh
 Hritik Pal
 Atoman Iresh
 Himanshu Som
 Anmol
 शक्ति
 शक्ति कुमार

94359012
 TILAK SHARMA

शजीव तोमर
 8273236658
 TILAK
 8979542154
 संजीव कुमार तोमर
 8077089913

8130476732
 राजपुत्र
 Anil Tomar

सिन्धु लोन्डर
 प्रदीप
 अशोक शर्मा
 Shikhar
 रामदास
 मनवीर

सोहन
 गौरव
 विमल
 काजु

Atul toner
 अतुल टोनेर
 Arjun Singh
 मन्जुषी टोनेर

राजेश
 पंथक
 मनीषा
 रश्मि

मन्जु
 Dimple Singh

जानक लाल
 लाल
 प्रकाश लाल
 1100 (दण्ड) लाल

जन कल्याण किसान वelfेयर समिति

एन.एच. - 09, जिन्दल नगर, स्कूल मार्केट, गालन्द, हापुड़ (उ.प्र.)

पत्रांक मीके

दिनांक 24/9/24

आज दिनांक 24/9/24 फिर आप गाँव, परदा, डाला, लहरील खोलाना में डेपिंग ग्रुप में

हमारे में बैंक डायरेक्टर की गयी बैंक में उपस्थित सभीों में एकमत से डेपिंग ग्रुप का विरोध किया बैंक में उपस्थित सभीों में हमारे विरोध है

Mangtomer Advocat Me
हरिओजी सिंह 9756955248
Sankar kumar Advocat
8077089912

Mahesh Tomar
Himanshu Son
Vikas
17/121
Atul Tomar

Moolchand Singh 8899881334

Ashwani
अमन सिंह 9312182993

Omprakash
9507733374

Ashu Tomar
8130476732
रवि कुमार
संजय सिंह
9635981334

Deepak Tomar - 9921191466
Umesh

संजय कुमार
प्रधान

संजय कुमार ग्राम संचालक, गालन्द
विन्धो बोलाना (हापुड़) उत्तर

Ashu
9508111111
Tushar

राजिव तोमर

Vipin Tomar

Badul Tomar

Aman Kumar

Keshav Singh

Hastik Pal

Ramesh

Omprakash
9508111111
सोनाम

अध्यक्ष/सचिव
जन कल्याण किसान वelfेयर समिति (राजिव)

कार्यालय : उप जिलाधिकारी/ उप जिला मजिस्ट्रेट, धौलाना (हापुड़)

© 9454449851

M sdm@hlp-up@nic.in

संख्या- 1204(1)/एस0टी0-एस0डी0एम0/धौलाना(2024)

दिनांक-27 सितम्बर, 2024

जिलाधिकारी

हापुड़।

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि ग्राम गालन्द व पिपलेहड़ा में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा बनाये जा रहे वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना के संबंध में आज दिनांक 27.09.2024 को ग्राम गालन्द व पिपलेहड़ा के ग्रामवासियों व जन कल्याण किसान हैलफेयर समिति ग्राम गालन्द के सदस्यों के साथ राजस्व टीम द्वारा बैठक कर वार्ता की गई। उक्त बैठक में उनके द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना किये जाने का पुनः विरोध किया गया। बैठक का उपस्थिति पत्र व कार्यवृत्त की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु महोदया की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक- यथोपरि।


27/9/2024
उप जिलाधिकारी
धौलाना

नगर निगम गाजियाबाद द्वारा बनाये जा रहे वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना के संबंध में दिनांक 27.09.2024 को ग्राम गालन्द में राजस्व टीम द्वारा की गई बैठक का कार्यवृत्त-

ग्राम गालन्द व पिपलेहड़ा में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना के संबंध में आज दिनांक 27.09.2024 को ग्राम गालन्द व पिपलेहड़ा के ग्रामवासियों व जन कल्याण किसान वेलफेयर समिति ग्राम गालन्द के सदस्यों के साथ तहसील धौलाना की राजस्व टीम द्वारा बैठक कर वार्ता की गई। उक्त बैठक में ग्रामवासियों एवं जन कल्याण किसान वेलफेयर समिति ग्राम गालन्द के सदस्यों द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना किये जाने का पुनः विरोध किया गया। नगर निगम गाजियाबाद द्वारा बनाये जा रहे वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना के विरोध किये जाने के ग्राम गालन्द व पिपलेहड़ा के ग्राम वासियों द्वारा निम्नलिखित कारण बताये गये-

- ग्राम पिपलेहड़ा व गालन्द में नगर निगम के द्वारा लगभग 17.9084 हे० भूमि पर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के निर्माण से गाँव के नजदीक होने के कारण दोनों गाँवों के व्यक्तियों द्वारा निर्माण न करने हेतु विरोध किया जा रहा है।
- ग्रामवासियों द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट का निर्माण न होने देने का मुख्य कारण यह है कि गाजियाबाद नगर निगम का कूड़ा घर गाजियाबाद जिले में न बनाकर हापुड़ जिले में बनाया जा रहा है।
- ग्रामवासियों का कहना है कि वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट हेतु प्रस्तावित भूमि के पास से ऊपरी गंग नहर गुजरती है, जिस कारण नहर का जल दूषित होने एवं वायु प्रदूषण बढ़ने से क्षेत्र में संक्रमणीय बीमारी फैलने की प्रबल सम्भावना होगी।
- एक अन्य मुख्य कारण वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट का निर्माण न होने देने का यह भी है कि, ग्राम पिपलेहड़ा व गालन्द में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्र में प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है। अतः वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के निर्माण से आस-पास के क्षेत्र की भूमि की कीमतों में भी कमी आयेगी।
- उक्त प्लान्ट के निर्माण से भूमि जल व वायु प्रदूषण होने की प्रबल संभावना है। इसी क्षेत्र के आस-पास अनेक शैक्षणिक संस्थान हैं, जहाँ बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।

अतः दिनांक 27.09.2024 को ग्राम गालन्द व पिपलेहड़ा में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में राजस्व टीम द्वारा की गई बैठक विफल रही।



क्षेत्रीय लेखपाल
ग्राम गालन्द

कार्यालय

जिलाधिकारी

हापुड़।

फोन नम्बर कार्यालय :- 0122-2304833

ईमेल:-dmhap@nic.in

फैक्स नम्बर :- 0122-2334233

ईमेल:-dmhapur01@gmail.com

फोन नम्बर कैम्प कार्यालय :- 0122-2334400

पत्रांक 1726(1) / एस0टी0-डी0एम0 / 2024

दिनांक 27/09/2024

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)

जनपद-हापुड़।

उपजिलाधिकारी, धौलाना के कार्यालय पत्रांक-1204(1) / एस0टी0-एस0डी0एम0 / धौलाना (2024) दिनांक 27 सितम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से उपजिलाधिकारी, धौलाना द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम गालन्द व पिपलैड़ा में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा बनाये जा रहे वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में उनके आज दिनांक 27.09.2024 को ग्राम गालन्द व पिपलैड़ा के ग्रामवासियों व जन कल्याण किसान वेलफेयर समिति ग्राम गालन्द के सदस्यों के साथ राजस्व टीम द्वारा बैठक कर वार्ता की गयी। बैठक के समय ग्रामवासियों द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना किये जाने का पुनः विरोध किया गया।

तत्संदर्भ में उपजिलाधिकारी, धौलाना द्वारा की गयी बैठक का कार्यवृत्त संलग्न करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि ग्राम गालन्द व पिपलैड़ा में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा बनाये जा रहे वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में दिनांक 01.10.2024 को राजस्व टीम के साथ आप स्वयं ग्रामवासियों के साथ बैठक कर वार्ता करते हुए वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना किये जाने का प्रयास करें तथा अपनी विस्तृत रिपोर्ट 01.10.2024 की सांय तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।



(प्रिण्ट) शर्मा

जिलाधिकारी,

हापुड़।

कार्यालय

जिलाधिकारी

हापुड़

संख्या:- 13577 / एस10टी0-ए0डी0एम0 / 2024

दिनांक- 01 अक्टूबर, 2024

जिलाधिकारी

हापुड़।

महोदया,

कृपया अपने पत्र संख्या 1726(1)/एस10टी0-डी0एम0/2024 दिनांक 27.09.2024 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उप जिलाधिकारी धौलाना के साथ ग्राम गालन्द व पिपलेहड़ा में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा बनाये जा रहे वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना के संबंध में आज दिनांक 01.10.2024 को ग्राम गालन्द के पंचायत घर में ग्राम गालन्द व पिपलेहड़ा के ग्रामवासियों व जन कल्याण किसान वैलफेयर समिति ग्राम गालन्द के सदस्यों के साथ राजस्व टीम द्वारा पुनः बैठक कर चर्चा की गई। उक्त बैठक में ग्रामवासियों द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना किये जाने का पुनः विरोध किया गया। ग्राम गालन्द व पिपलेहड़ा के ग्रामवासियों द्वारा नगर निगम गाजियाबाद द्वारा बनाये जा रहे वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना का विरोध किये जाने के निम्नलिखित कारण संज्ञान में आये हैं-

- ग्राम पिपलेहड़ा व गालन्द में नगर निगम के द्वारा लगभग 17.9084 हे० भूमि पर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के निर्माण से गाँव के नजदीक होने के कारण दोनों गाँवों के व्यक्तियों द्वारा निर्माण न करने हेतु विरोध किया जा रहा है।
- ग्रामवासियों द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट का निर्माण न होने देने का मुख्य कारण यह है कि गाजियाबाद नगर निगम का कूड़ा घर गाजियाबाद जिले में न बनाकर हापुड़ जिले में बनाया जा रहा है।
- ग्रामवासियों का कहना है कि वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट हेतु प्रस्तावित भूमि के पास से ऊपरी गंग नहर गुजरती है, जिस कारण नहर का जल दूषित होने एवं वायु प्रदूषण बढ़ने से क्षेत्र में संक्रमणीय बीमारी फैलने की प्रबल सम्भावना होगी।
- एक अन्य मुख्य कारण वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट का निर्माण न होने देने का यह भी है कि, ग्राम पिपलेहड़ा व गालन्द में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्र में प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है। अतः वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के निर्माण से आस-पास के क्षेत्र की भूमि की कीमतों में भी कमी आयेगी।
- उक्त प्लान्ट के निर्माण से भूमि जल व वायु प्रदूषण होने की प्रबल संभावना है। इसी क्षेत्र के आस-पास अनेक शैक्षणिक संस्थान हैं, जहाँ बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।

अतः दिनांक 01.10.2024 को ग्राम गालन्द व पिपलेहड़ा में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी व उप जिलाधिकारी धौलाना की उपस्थिति में राजस्व टीम द्वारा की गई बैठक विफल रही। उपरोक्तानुसार आख्या एवं उपस्थिति पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु महोदया की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक- यथोपरि।

उप जिलाधिकारी
धौलाना

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)
हापुड़


उपस्थित

संशोधन, जहाँसे सादर आकार कराया है कि
 डिप्लोमा संशोधन के आदेशों के तहत है
 एनर्जी एनर्जी के एनर्जी में एक निम्न लिंक
 Y1924 को प्रेषित है। निम्न लिंक व
 उनका नाम व पता है। एनर्जी के एनर्जी के
 पता निम्न लिंक में उपस्थित सारणों के
 वेब है एनर्जी एनर्जी में नमूने उद्धरण, वेब एनर्जी
 का जो उद्धरण, वेब एनर्जी लिंक व गैर
 में उद्धरण के एनर्जी के सारण व गैर
 लिंक का फुल टाइटिल में डॉ. निम्न लिंक
 एनर्जी में वेब है निम्न लिंक वेब में उपस्थित
 सारणों के उद्धरण लिंक है-

- | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------------|
| संजय कुमार जय उद्यान | 9879180430 | 9879180430 | 0214421076 |
| ER/आमोस | 9752955248 | 9752955248 | |
| निरापाज | 9879180430 | 9879180430 | |
| मेहेन्द्र सिंह | 9358707985 | 9358707985 | |
| शमीरा | 7248415096 | 7248415096 | |
| डॉ. रामसुन्दर | 8525079919 | 8525079919 | |
| रामवाही | | | |
| राजविलोम | 8194058841 | 8194058841 | 9870997315 |
| शुभवीर सिंह | 9012265693 | 9012265693 | P.C 9027-62 6381 |
| हनुमान सिंह | 9760076600 | 9760076600 | |
| अमिताभ | 9312182993 | 9312182993 | |
| अमिताभ | 9015632990 | 9015632990 | |

(Sandeep Kumar)
 ADM (H/A)


27/11/2024
 50110




भारत सरकार
Government of India

भारतीय विधिपरामर्श परिषद
Authority of India

Hc 12 GE



रहीसुदकी







GPS Map Camera



Galand, Uttar Pradesh, India
 MHPQ+G6V, Galand, Uttar Pradesh 201015, India
 Lat 28.686385°
 Long 77.588013°
 01/10/24 05:18 PM GMT +05:30



GPS Map Camera



Galand, Uttar Pradesh, India
 MHPQ+G6V, Galand, Uttar Pradesh 201015, India
 Lat 28.686384°



GPS Map Camera



Galand, Uttar Pradesh, India
 MHPQ+G6V, Galand, Uttar Pradesh 201015, India
 Lat 28.686385°
 Long 77.588013°
 01/10/24 05:18 PM GMT +05:30



GPS Map Camera



Galand, Uttar Pradesh, India
 MHPQ+G6V, Galand, Uttar Pradesh 201015, India
 Lat 28.686385°
 Long 77.588013°
 01/10/24 05:18 PM GMT +05:30



GPS Map Camera

Galand, Uttar Pradesh, India
MHPQ+G6V, Galand, Uttar Pradesh 201015, India
Lat 28.6864°
Long 77.588074°
01/10/24 05:11 PM GMT +05:30



Google

कार्यालय

जिलाधिकारी

हापुड़।

फोन नम्बर कार्यालय :- 0122-2304833

ईमेल:-dmhap@nic.in

फैक्स नम्बर :- 0122-2334233

ईमेल:-dmhapur01@gmail.com

फोन नम्बर कैम्प कार्यालय :- 0122-2334400

पत्रांक 1851 /एस0टी0-डी0एम0/2024

दिनांक 01/10/2024

1. पुलिस अधीक्षक, हापुड़।
2. अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0), हापुड़।
3. उपजिलाधिकारी, धौलाना।
4. पुलिस क्षेत्राधिकारी, पिलखुवा।
5. तहसीलदार, धौलाना (समस्त राजस्व टीम के साथ)।

आपको विदित ही है कि वर्तमान में ग्राम गालन्द व पिपलैड़ा में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा बनाये जा रहे वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में ग्रामवासियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरी एवं तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, हापुड़, उपाध्यक्ष, हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा ग्रामवासियों को समझाने का काफी प्रयास किया गया है, परन्तु ग्रामवासियों द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना किये जाने का विरोध किया गया। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) एवं उपजिलाधिकारी, धौलाना द्वारा दिनांक 01.10.2024 को संयुक्त रूप से कार्यालय पत्रांक-13577 /एस0टी0-ए0डी0एम0/2024 दिनांक 01.10.2024 के माध्यम से अवगत कराया है कि उनके द्वारा ग्राम गालन्द व पिपलैड़ा के ग्रामवासियों व जन कल्याण किसान वैंलफेयर समिति ग्राम गालन्द के सदस्यों के साथ राजस्व टीम द्वारा बैठक कर वार्ता की गयी। बैठक के समय ग्रामवासियों द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना किये जाने का पुनः विरोध किया गया।

तत्संदर्भ में ग्राम गालन्द व पिपलैड़ा में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा बनाये जा रहे वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17.10.2024 को अपरान्त 01.00 बजे ग्रामवासियों के साथ बैठक कर वार्ता करते हुए वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना किये जाने का प्रयास किया जायेगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप नियम दिनांक एवं समय पर ग्राम गालन्द में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


(प्ररणा शमी)
जिलाधिकारी,
हापुड़।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
2. नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद।


जिलाधिकारी,
हापुड़।